ब्यावर सहित छः ज़िला मुख्यालयों में विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय घोषित

चर्चा में क्यों?

24 अगस्त, 2022 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर ब्यावर (अजमेर ज़िला) सहित छः ज़िला मुख्यालयों पर स्थापित समस्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों को विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय घोषित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- विधि एवं विधिक कार्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव प्रवीर भटनागर ने बताया कि प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिये अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों को विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय घोषित किया गया है।
- इनमें ब्यावर (अजमेर ज़िला) अलवर, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद एवं सीकर मुख्यालयों पर स्थापित समस्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों को विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय घोषित किया गया है।
- इन न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित ज़िला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/special-judicial-magistrate-court-1